संख्या-14/103रिट/47-का-2013-24/15/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2013**

विषय- रिट याचिका संख्या-6401(एस/एस)/2013 नन्दलाल शर्मा बनाम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी व अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उप निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के पत्र (नोटिस) संख्या-2320/एम0एस0/रिट/2013, दिनांक 27.01.2013 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष (मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन) बोर्ड आफ गवर्नर्स अकादमी को दिनांक 02.01.2014 या इससे पूर्व मा0 न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

2- उक्त के संबंध में आपसे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी एक स्वायतशासी संस्थान होने तथा अकादमी में कार्यरत कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक, अकादमी होने के कारण प्रश्नगत रिट याचिका में उप निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 02.01.2014 से पूर्व प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अध्यक्ष (मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन), बोर्ड आफ गवर्नर्स अकादमी की ओर से प्रतिशपथ-पत्र तैयार कर मा0 उच्च न्यायालय में योजित करने की कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से (योजित प्रतिशपथ-पत्र की प्रति सहित) शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रश्नगत रिट याचिका में सचिव, कार्मिक को कदाचित प्रोफार्मा पार्टी बनाया गया है। अतएव प्रश्नगत रिट याचिका में शासन के स्तर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना अपेक्षित हो तो कृपया रिट याचिका का संक्षिप्त इतिहास, कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति तथा प्रस्तरवार आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी उपयुक्त होगा कि प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा जो अनुदेश माँगा गया है, यदि यह अनुदेश अकादमी द्वारा अपने स्तर से दिया जाना संभव हो तो उस पर अविलम्ब कार्यवाही कर ली जाये, अन्यथा की स्थिति में अविलम्ब शासन को प्रकरण संदर्भित किया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in